उन्हें शीघ्रता से पासपोर्ट जारी किया जा सके। वास्तव में अधिकांश मामलों में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल 35 दिन की अवधि के अन्दर आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करके पासपोर्ट जारी कर देता है।

पासपोर्ट आवेदकों को पेश आने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सामान्य उपाय भी किए जा रहे हैं और इन उपायों का उद्देश्य पासपोर्ट सुविधाओं को उदार तथा बेहतर बनाना है। इसमें भारतीय पासपोर्ट की वैधता अवधि तथा उसके आकार को बढ़ाना भी शामिल है ताकि नवीकरण के मामलों में पर्याप्त कमी की जा सके। साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व्यक्तियों की सूची में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है।

देश में नदियों को परस्पर मिलाया जाना

3135. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में नदियों को परस्पर मिलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को कार्यरत देने के लिए सरकार एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नदियों को परस्पर मिलाने के ऐसे ही प्रस्ताव पिछले कुछ दशकों के दौरान विशेषज्ञ समितियों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाया गया है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अंतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने और हिमालयी नदियों को अलग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। केन्द्र सरकार एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। देश में नदियों को आपस में जोड़कर जल अधिशेष बेसिनों से जल कमी वाले बेसिनों को अंतरण के लिए रूपात्मकताओं की सलाह देना आयोग की संदर्भ की शर्तों में से एक है।

(घ) और (ङ) एक प्रस्ताव डा. के. एल. राव द्वारा और दूसरा कैप्टन दस्तूर द्वारा बनाए हुए विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। डा. के. एल. राव के प्रस्ताव की एक विशेषज्ञ समिति और केन्द्रीय जल आयोग ने जांच की थी और प्रतिबंधित लागत, विद्युत के वृहद ब्लाकों की आवश्यकता और साथ ही बाढ़ नियंत्रण के कोई लाभ होने के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। कैप्टन दस्तूर की योजना की केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों के विशेषज्ञों एवं प्रोफेसरों की दो विशेषज्ञ समितियों ने जांच की जिनकी राय थी कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से प्रतिबंधात्मक था।

ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े टेलीफोन

3136. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में लगाए गए अधिकांश एक्सचेंज और टेलीफोन पिछले छः महीने से खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है;

(घ) इन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने से पहले इन्हें ठीक कराने के लिए बनाई गई योजनाओं के साथ-साथ इन योजनाओं को अब तक कार्यान्वित न किए जाने के कारणें का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में अनेक अधिकारी दोषी पाए गए हैं; यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) नए एक्सचेंजों की संस्थापना से पहले उनका गुणवत्ता की दृष्टि से परीक्षण किया जाता है तथा समुचित संस्थापन के लिए इसका स्वीकृति परीक्षण किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।